



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2019/श्रावण 9, 1941

No. 2503]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2019/SHRAVANA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2019

का.आ. 2753(अ).—नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचानपत्रों का जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद् द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, असम के अलावा देशभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2020 की अवधि में किया जायेगा।

[फा. सं. 9/5/2019-सीआरडी (एनपीआर)]

विवेक जोशी, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL CITIZEN REGISTRATION, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2019

S.O. 2753(E).—In pursuance of sub-rule(4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country except Assam for collection of

information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken between the 1st day of April, 2020 to 30th September, 2020.

[F. No. 9/5/2019-CRD (NPR)]

VIVEK JOSHI, Registrar General of Citizen Registration